कार्यालय–मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांकः /सम्पत्ति–अनु0/19 **आवंटन/किश्त पत्र** दिनांक :

Property Code :

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु0,
पुत्र/पत्नी/पिता श्री.
पता

विषयः–प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एफॉर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत ..... में स्थित दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के फ्लैट सं0.,........के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आप द्वारा उपरोक्त फ्लैट के आवंटन हेतु किये गये पंजीकरण सं0–.... डूडा सर्वे कोड सं0–---- के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक --- को सम्पन्न लाटरी ड्रा में आपको ----, मेरठ में दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के फ्लैट सं0.----- आवंटित किया गया है।

1. फ्लैट के मूल्य की भुगतान प्रकिया निम्न प्रकार है–

(क) अनुमानित लागत	रू0 00
(ख) घटाये–भारत सरकार द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि	रू0 00
(ग) घटाये–राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि	रू0 00
(घ) आवंटी द्वारा कुल देय मूल्य	रू0 00
(ड) आवंटी द्वारा देय जी0एस0टी0 1प्रतिशत	**रू0 00**
(च) आवंटी द्वारा कुल देय धनराशि जी0एस0टी0 सहित	रू0 00
(छ) घटाये–आवंटी द्वारा जमा पंजीकरण धनराशि	रू0. **00**
(ज) घटाये–आवंटी द्वारा देय आवंटन धनराशि	रू0. **00**
(झ) आवंटी द्वारा देय किश्तों की धनराशि	रू0. **00**

2. आप द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित आवंटन धनराशि इस आवंटन/किश्त पत्र निर्गत होने के तिथि से एक माह के अन्दर जमा कराना होगा, अन्यथा नियमानुसार विलम्ब शुल्क देय होगा। अवशेष किश्तों की धनराशि रू0.----- ,9.5% ब्याज सहित 5 वर्ष की 20 समान तिमाही किश्तें निम्न प्रकार है–

Inst. No.	Principal Amount	Interest Amount	Due Amount	Due Date
1.	0	0	0	0

3. किश्तें अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती है। किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 13% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा। किश्तें जमा करने हेतु अलग से कोई नोटिस नहीं दिया जायेगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।

4. यदि आप/आवंटी द्वारा लगातार तीन तिमाही किश्तें जमा नहीं की जाती हैं तो उक्त **आवंटित फ्लैट का आवंटन निरस्त किया जा सकता है।**

5. निर्धारित विक्रय मूल्य जमा किये जाने के पश्चात निर्धारित मूल्य के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर तथा रू0 50/— का अतिरिक्त स्टाम्प पेपर व पासपोर्ट साईज के 4 फोटो जमा कराकर शासन के निर्देशानुसार पट्टा विलेख अपने पक्ष में निष्पादित कराना होगा।

6. आवंटी को पट्टा विलेख निष्पादन के पश्चात निबन्धित पट्टा विलेख की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित फ्लैट का कब्जा पत्र स्वयं प्राधिकरण से प्राप्त करना होगा।

7. उक्त फ्लैट का आवंटन प्राधिकरण/शासन द्वारा रियायती दरों पर किया गया है। अतः प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत आवंटित इस फ्लैट का अन्तरण/परिवर्तन/विक्रय/रक्त के रिश्तों में परिवर्तन/पावर ऑफ अटॉर्नी/नोमिनी/वसीयत आदि के आधार पर किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। यदि आवंटी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डेमिनिटी बॉड एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेख प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर केवल उसी उत्तराधिकारी के पक्ष में नियमानुसार अन्तरण अनुमन्य होगा, जो उसके साथ रह रहा होगा। यदि एक से अधिक उत्तराधिकारी होंगे तो किसी एक उत्तराधिकारी के पक्ष में अन्तरण हो सकेगा, जबकि अन्य उत्तराधिकारी उसके पक्ष में अन्तरण करने की सहमति हेतु शपथ पत्र इस आशय का देंगे कि उत्तराधिकारी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा कोई सम्पत्ति आवंटित नहीं है, और न ही उसके पास स्वयं की अर्जित सम्पत्ति है अन्यथा उपरोक्तानुसार भिन्न स्थिति की दशा में उक्त फ्लैट का भौतिक कब्जा प्राधिकरण ले लेगा तथ जमा धनराशि किरायेदारी का अंश माना जायेगा, जो वापसी योग्य नहीं होगा।

8. विकास कार्यों के अनुरक्षण पर आने वाले व्यय व अन्य व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन किये जायेंगे।

9. आवंटी को विद्युत संयोजन स्वयं अपने व्यय पर प्राप्त करना होगा तथा बिल आदि का भुगतान आवंटी द्वारा स्वयं सम्बन्धित विभाग में किया जायेगा।

10. यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र तथा जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), मेरठ द्वारा किये गये सत्यापन के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप के द्वारा गलत प्रमाण—पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनायें प्रस्तुत की गयी थी, अथवा डूडा, मेरठ द्वारा आपकी पात्रता के सम्बन्ध में प्रतिकूल निर्णय लिया जाता है, की स्थिति में यह आवंटन पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

11. अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार होंगी।

12. उक्त आवंटित सम्पति की किश्तों आदि की धनराशि **इलाहाबाद बैंक, मेरठ** विकास प्राधिकरण परिसर, मेरठ में जमा की जायेगी तथा जमा रसीद में कम्प्यूटर कोड नम्बर अंकित किया जाना आवश्यक है।

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।